LL. B.-403

LL. B. (Fourth Semester) EXAMINATION, 2020

Paper Third

IVIL PROCEDURE CODE AND LIMITATION ACT

ne: Three Hours]

[Maximur. Marks : 100

ट : सनी खण्डों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
Attempt questions from all Sections as directed.

शः अन्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार तिखें। यदि किसी प्रश्न के कई माग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएँ।

The candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of a question, answer them in continuation.

खण्ड व

(Section-A)

लघु उत्तरीय प्रश्न

(Short Answer Type Questions)

कून अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।

P. T. O.

https://www.csjmuonline.com

[2]

LL. B.-403

https://www.csjmuonline.com

All questions are compulsory. Each question carries 4 marks.

- (A) वाद का कारण क्या है ? प्रिमािषत कीजिए।
 Define Cause of Action.
 - (B) प्रारम्भिक डिक्री तथा अन्तिम डिक्री में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
 Discuss the difference between Preliminary
 Decree and Final Decree.
 - (C) वाद बिन्दुओं से आप क्या समझते हैं ? What do you understand by 'Issues' ?
 - (D) मध्यवर्ती लाभ की व्याख्या कीजिए। Discuss Mesne profits.
 - (E) 'पुनर्विलोकन' से आपका क्या तात्पर्य है ? What do you mean by 'Review' ?
 - (F) वाद के स्थान से क्या तात्पर्य है ? Explain place of suit.
 - (G) निर्णय को परिमा**षित की**जिए। Define Judgment.
 - (H) प्रलक्षित प्राङ्न्याय क्या होता है ? What is Constructive Res-Judicata ?
 - (I) अकिंचन व्यक्ति कौन है ? Who is an Indigent Person ?
 - (J) "जब मियाद का समय चलना प्रारम्भ हो जाता है तो पश्चात्वर्ती नियोंग्यता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।" व्याख्या कीजिए।

"When once the period of limitation begins to rut subsequent, disability has no affect." Comment.

https://www.csjmuonline.com

(Section-B)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Type Questions)

नोट : किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।

Attempt any two questions. Each question carries 15 marks.

- आज्ञप्ति को परिभाषित कीजिए। आज्ञप्ति के अनिवार्य तत्व क्या हैं और यह आदेश से किस प्रकार भिन्न है ?
 - Define Decree. What are the essentials of a decree and how does it differ from order?
- दीवानी प्रकृति के वाद के सिद्धान्त की उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से विवेचना कीजिए।

Discuss the concept of suit of a civil nature with the help of suitable examples.

4. "प्राङ्न्याय का सिद्धान्त लोकहित का सिद्धान्त है।" इस सिद्धान्त के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। क्या यह सिद्धान्त सहवादियों पर लागू होता है ?

"Doctrine of Res-Judicata is doctrine for public welfare." Comment giving its essential elements. Does the doctrine apply to co-plaintiff?

https://www.csjmuonline.com

https://www.csjmuonline.com

5. "परिनियम अधिनियम के अन्तर्गत वादी की विधिक निर्योग्यता सीमा की अविधि को थलाने से **छस समय तक रोक**ती है जब तक निर्योग्यता समाप्त न हो जाएं।" व्याख्या कीजिए। उस परिस्थिति में क्या होगा, जहाँ वादी को एक से अधिक निर्योग्यता हो ?

"Legal disability of the plaintiff prevents the period of limitation under Limitations Act from running till the disability is ceased." Elaborate. What would happen and plaintiff has more than one disability?

, खण्ड-स

(Section—C)

दीर्ष् उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Type Questions)

नोट: किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर वीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का

Attempt any two questions. Each question carries 15 marks. https://www.csjmuonline.com

6. प्रथम अपील से क्या आप क्या समझते हैं ? प्रथम अपीलीय न्यायालय के अधिकारों की विस्तृत विवेचना कीजिए।

What do you mean by First Appeal? Explain in detail the jurisdiction/powers of First Appellate Court.

7. स्थावर सम्पत्ति की की के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। किन परिस्थितियों में डिक्री की तुष्टि पर कुर्की को उठाया जाता है ?

Explain relevant provisions of Attachment of Immovable Property. Under what circumstances removal of attachment after satisfaction of decree takes place?

https://www.csjmuonline.com

- न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की विस्तार से व्याख्या कीजिए।
 न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के तीन उदाहरण बताइए।
- Explain in detail inherent powers of Court and give three cases of inherent powers of Court.
- 9. देरी से प्रस्तुत वाद में माफी का क्या प्रावधान है ? पर्याप्त आधार देरी से क्षमा को विस्तार से बताइए।

What are the provisions for condonation of delay? Explain in detail "Sufficient Cause".

https://www.csjmuonline.com Whatsapp @ 9300930012 Send your old paper & get 10/-अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रूपये पार्ये, Paytm or Google Pay से

https://www.csjmuonline.com